

स्युनतम  
28.2° C  
अधिकतम  
36.5° C

अमृतवाणी

अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वी ना लगे।

सूर्योदय : 5:19, सूर्यास्त : 7:17

वर्ष : 51/ अंक : 156

बुधवार, 07 जून 2023

आषाढ़, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी

सन्मत् 2080

मूल्य 3 रुपये

पृष्ठ-4

कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही है, उसने नफरत का मेगा शांतिंग मॉल खोला हुआ है : जेपी नड्डा



सियासत की दुकानों से खरीदारों को बचना है.....

# स्वास्थ्य विभाग का अवैध नर्सिंग होम व झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चला अभियान

# 4 नर्सिंग होम सील, 5 को दिया नोटिस

जानसद, 06 जून (बु.)। स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सकों और फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए करके के 4 नर्सिंग होम को सील किया तथा 5 नर्सिंग होम को नोटिस दिए। प्रदेश सरकार की मंशा है कि क्षेत्र में कोई भी झोलाछाप डॉक्टर व नर्सिंग होम न हो उसी कड़ी के चलते सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार के निर्देशनुसार जानसद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार द्वारा करके में चल रहे 4 नर्सिंग होम पर चर्चक अभियान चलाया गया। सभी के पास रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं मिले तथा डिलीवरी सिंजेरियन को जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतों भी स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी।



जानसद, 06 जून (बु.)। स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सकों और फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए करके के 4 नर्सिंग होम को सील किया तथा 5 नर्सिंग होम को नोटिस दिए। प्रदेश सरकार की मंशा है कि क्षेत्र में कोई भी झोलाछाप डॉक्टर व नर्सिंग होम न हो उसी कड़ी के चलते सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार के निर्देशनुसार जानसद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार द्वारा करके में चल रहे 4 नर्सिंग होम पर चर्चक अभियान चलाया गया। सभी के पास रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं मिले तथा डिलीवरी सिंजेरियन को जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतों भी स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी।

जानसद, 06 जून (बु.)। स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सकों और फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए करके के 4 नर्सिंग होम को सील किया तथा 5 नर्सिंग होम को नोटिस दिए। प्रदेश सरकार की मंशा है कि क्षेत्र में कोई भी झोलाछाप डॉक्टर व नर्सिंग होम न हो उसी कड़ी के चलते सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार के निर्देशनुसार जानसद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार द्वारा करके में चल रहे 4 नर्सिंग होम पर चर्चक अभियान चलाया गया। सभी के पास रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं मिले तथा डिलीवरी सिंजेरियन को जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतों भी स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी।

## कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज

हाईवे के हुस्म पर जम्मू-दिल्ली नेशनल हाईवे खाली कराया गुनाम चढ़नी समेत बड़ी संख्या में किसान हिरासत में

कुरुक्षेत्र, 6 जून (एजेंसी)। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जम्मू-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर के किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस हाईवे जाम न करने को लेकर हाईवे के आंदोलन कर रही थी। उसके बाद किसानों को 15 मिनट का समय दिया गया लेकिन वे नहीं हटे। इसके बाद पहले वाहन और फिर लाठीचार्ज कर दिया गया। किसानों के नेता गुनाम सिंह चढ़नी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों ने प्रदर्शन में रोज जाम करने शुरू कर दिए हैं।

कुरुक्षेत्र सेक्टर-23 कर से ब्रह्मसरौर, उड़क के तीसरे गेट होते हुए डांड रोड से पुरान-152 डी की तरफ डायरेक्ट किया है। यमुनामर का तरफ जाने वाले वाहनों को कुरुक्षेत्र के पिपली चौक पुल के नीचे से बाया लाइव होकर भेजा जा रहा है। चंडीगढ़-अंबाला से दिल्ली जाने वाले वाहनों को शाहबाद मार्गकड़ा के साह कर से बाकन होते हुए लाइव, यमुनामर, कननाल होते हुए दिल्ली भेजा गया। चंडीगढ़-अंबाला होते हुए जिन वाहनों को केवला, हिसार, कुरुक्षेत्र जाना है, उन्हें शाहबाद मार्गकड़ा के जलेश्वर से होते हुए बाया टोल में आगे भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने किसानों को बड़ा चौक पर रोकने के इंतजाम लिए थे। बड़ा चौक पर दोनों तरफ बैरिकेड लगाए थे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां पर द्रव हार्न को भी तैयार कर रखा था, ताकि आगे बढ़ते किसानों को पानी की बीकर से रोक जा सके। मगर किसानों ने मार्गकड़ा

## हाईवे पर कार बनी आग का गोला, मची अफरा-तफरी

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा में जाली रोड पर स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से दुकान में रखा समस्त सामान जलकर राख के ढेर में बदल गया। सूचना पर मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस अज्ञात कार में लाला रूपाय का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा आज हाईवे पर मंसूरपुर क्षेत्र में बेराजपुर पुल के पास एक चलती अटो कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची

## छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे गैर सम्प्रदाय के युवक

गांधी कॉलोनी में छेड़छाड़ पर गैर सम्प्रदाय के युवक की धुनाई मण्डी क्षेत्र में भी पीड़ित पिता को धमकी देकर भागा मजनु

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। देशभर में मच रहे लव जेहर के शोर के बीच भी सड़क छाप मजनु अपनी हस्तों से बाज नहीं आ रहे हैं। नई मंडी क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में गैर सम्प्रदाय के युवकों द्वारा नाबालिग किशोरों व एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। गांधी कॉलोनी में तो नागरिकों ने सड़क छाप मजनु की धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि दूसरा आरोपी युवती के पिता को ही धमकी देकर पसार हो गया। मामलों की रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है।



सकती है। मंगलवार को तो ऐसे ही मनचले को लोगों ने अपने हावों से सजा देकर मुक्का का इजहार किया। दरअसल गांधी कॉलोनी हनुमान मंदिर चौराहे पर भी गैर सम्प्रदाय के युवक ने नाबालिग किशोरों के साथ छेड़छाड़ की। किशोरों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और अज्ञात धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकालकर हिरासत में ले लिया। राह चलते लोगों ने इस मजनु पर अपना खूब हाथ साफ किया। लोगों का कहना था कि इन सड़क छाप मजनुओं ने महिलाओं और युवतियों का जीना मुहाल कर रखा है। पुलिस को

अभियान चलाकर ऐसे मजनुओं के खिलाफ कार्रवाई करने चाहिए अन्यथा किसी दिन लोगों का गुस्सा बड़ी घटना को कारण बन सकता है। एएसएचओ नई मंडी संतोष लाम्गी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी घटना भी नई मंडी क्षेत्र की है, जहां पर गैर सम्प्रदाय के युवक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता को जान से माने की धमकी भी दी। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि बाइक सवार युवक ने उसकी 20 वर्षीय पुत्री को सर्राह रोककर छेड़छाड़ की व उसे खींचने लगा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़ित ने बताया कि आरोपी शहर कोतवाली के गांव सुनई की कुगर पट्टी निवासी इफ्तखर है, जो पुलिस में शिकायत करने पर धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

## हाईकोर्ट ने दिए ये राफ़्दी राजमार्ग सुलवाने के आदेश

चंडीगढ़। शाहबाद में किसानों के हाइवे पर एकत्रित होने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि नेशनल हाइवे देश की लाइफ लाइन है और इसे किसी भी हालत में बाधित न होने दिया जाए। सरकार सुनिश्चित करे कि एस पर न तो वातावरण बाधित हो और न ही जनता को असुविधा हो। हालांकि ऐसा करके हुए प्रशासन अत्याधिक संयम करते और बल प्रयोग अतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल हो। कोर्ट ने इस बारे में मुख्य सचिव को रिपोर्ट दायित्व करने का आदेश भी दिया है।

## पुलिस-बदमाश मुठभेड़ में शातिर बदमाश लंगड़ा



मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। शहर कोतवाली क्षेत्र में शाहपुर तितावी मौके पर आज शाम शहर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिये जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायल बदमाश के विरुद्ध मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद व हरियाणा में दूर, डकैती व हत्या के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी तितावी थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जो काफी समय से लापत

## उम्र सतर बरस, सरकारी खातों में दिखाया मृत



मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। सतर साल की उम्र में जब उसे बेटी के संसार की जगह बनी तो उसका अपना खुद और दामाद ही उसके लिए खतरा बन गया। महिला का आरोप है कि उसके पिता की मृत हो चुकी है। उनके पास 28 बीघा जमीनी थी। इसमें पति ने 23 बीघा जमीनी बेटी के नाम कर दी थी। पति की मृत हो जाने के बाद उसके पास वही 5 बीघा जमीनी बूढ़ापे की ही रहती है। महिला का कहना है कि जमीनी के लाल में बेटी और दामाद ने उन्हें मुठभेड़ दिखाकर पाप बीघा जमीनी ही हड़प ली है। 18 साल से लगातार अपनी जमीनी वापस पाने के लिए दर-दर भटकी और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। तहसील में शिकायत की तो वहां कार्रवाई के नाम पर उससे पैसे ऐंठ लिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दामाद और बेटी ने उन्हें बेवहारा भीख मानने के लिए छोड़ दिया है। महिला ने बताया कि उसके पति की मृत के बाद जमीनी के लाल में

## दुर्घटना में युवक की मौत से परिवार में शोक की लहर



भोपा, 6 जून (बु.)। ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में कम्पनी में तैनात युवक की मौत हो गयी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। भोपा थाना क्षेत्र के कन्वा भोकरेडी के महल्ला सुभाष चौक निवासी 35 वर्षीय अजय कुमार उर्फ इम्तिल मेरठ निवासी स्थित आसफर ट्रैक्टर की कंपनी में कार्यरत था। सोमवार को कार्य के दौरान वह ट्रैक्टर दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसकी मौत हो गयी। अजय कुमार की मौत से परिवार में मातम छा गया। मंगलवार को सुकृत मृतक का अंतिम संस्कार कुश्ती में किया गया। मृतक अपने पीछे पती अंतिम पाँच वर्षीय पुत्र किट्टु व दो वर्षीय पुत्री गुडिया को छोड़ गया है। पिता तेजपाल व माता मुनेश देवी सहित परिवर्तियों का से-रोकर बुरा हाल है।

## टैकर-पिकअप की भिड़ंत में युवक की मौत, दो घायल




छपार, 6 जून (बु.)। हाइवे पर हुए हादसे में युवक की मौत हो गई। उसके दो अन्य साथी घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर मंगलवार सुबह तीन युवक पिकअप में देहरादून से माल लेकर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बड़े गेट के पास पिकअप की सीएनजी खत्म हो गई। गाड़ी में सवार तीनों युवक गाड़ी को धक्का लगाकर ले जाने लगे, तभी वहां पीछे से आए टैकर ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे की चर्चट में आने से स्थिति लाईव धांके के सरवट निवासी नौशद (25) पुत्र इकबाल की मौत पर ही मौत हो गई। घटना के राश्री सहस्रवपुर की देवबंद कोतवाली केवली निवासी गुलाबहर व मोहन घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपित चालक मौके से फरार हो गया।

## यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काखोवका तबाह : 80 गांव डूबने का खतरा



नई दिल्ली, 6 जून (एजेंसी)। रूस के साथ जंग के बीच मंगलवार को यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम काखोवका तबाह हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह भी आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त दरोगा राजकुमार संमत पांच लोगों के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। इधर, यूक्रेन के उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि डैम पर रूस ने हमला किया है। बांध टूटने से तबाही की आशंका देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है।

## नेवी अफसर बताकर की थी शादी, निकला टैक्सरी ड्राइवर



बरेली, 6 जून (एजेंसी)। बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की शिवायाम कॉलोनी में विवाहला की मौत हो गई। मायके वालों ने पता दवाकर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के पिता ने बेटी के सरुप सेवानिवृत्त दरोगा राजकुमार संमत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह भी आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त दरोगा राजकुमार संमत पांच लोगों के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। इधर, यूक्रेन के उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि डैम पर रूस ने हमला किया है। बांध टूटने से तबाही की आशंका देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है।

## प्रॉपर्टी डील में हीरा व्यापारी से 5.37 करोड़ की ठगी

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में ठगी का एक मामला सामने आया है। वहां एक हीरा व्यापारी से प्रॉपर्टी डील में 5.37 करोड़ रुपये की ठगी की गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हीरा व्यापारी ने सोमवार को दारुदर पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका एक साथी हीरा व्यापारी और उसका बेटा जो एक कंस्ट्रक्शन फर्म का मालिक है, ने 2016 में उससे संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि वे पश्चिमी उपनगर के वकाला में एक आवास और वाणिज्यिक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें 3 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। इस रुपये के एजेंट में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को वकाला परियोजना में 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 11,000 वर्ग फुट का खर्च करने से इस्तेफा देने का वादा किया था। उस समय आरोपियों ने कहा था कि वे इसके लिए एक समझौते का समझौता तैयार करेंगे।

## बेटी और दामाद पर लेखपाल से मिलकर जमीन हड़पने का आरोप

अब वह दो रोटों के लिए भी मोहताज है। एसडीएम जानसद ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानसद तहसील के टेंडेड गांव की रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शतिर हीरी मंगलवार को

## गंगनहर पर दायीं पटरी के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। प्रदेश शासन द्वारा हीरी झंडी मिलने के बाद गंगनहर के चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर दायीं पटरी के निर्माण की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। हरिद्वार जिले से लेकर मुजफ्फरनगर तक जाने वाली गंगनहर का

## औषधि निरीक्षक ने मांगा स्टॉक का ब्यौरा

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। शासन द्वारा कुछ खास काबिनेशन वाली खासी जुलाम की दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के बाद जिले के सभी दवा विक्रेताओं को इन दवाओं की बिक्री तत्काल बंद करने तथा ईकैड बचे स्टॉक की जानकारी देने के साथ-साथ ऐसे दवाओं को अलग रखकर उन पर प्रतिबंधित दवाएं लिखने को कहा गया है, ताकि इस स्टॉक को निर्माता कंपनी को वापस किया जा सके। औषधि निरीक्षक पवन शास्त्र का कहना है कि

## मुजफ्फरनगर दंगा 2013 प्रकरण साम्प्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 27 के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में विशेष एमएलएलाय कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व 26 अन्य के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए हैं। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 24 जून नियत की है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार यह 28 अगस्त 2013 को स्थित गंगनहर का अंतिम संस्कार कर पर लौटते समय कवाल में संघर्ष को लेकर पुलिस ने 28 लोगों के विरुद्ध कई सभ्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। घटना के बाद विक्रम सैनी को एनएसए में नियुक्त किया गया था। मामले की सुनवाई 27 के विरुद्ध चली थी और गत 11 अक्टूबर 2022 को विशेष अदालत ने विक्रम सैनी व 11 दूसरे आरोपियों को सजा सुनाई थी, जबकि 15 को बरी कर दिया था। इस घटना से संबंधित धारा 153ए के तहत शासन से अनुमति मिलने पर बाद में चार्जशीट दायित्व की गई थी, जिस की सुनवाई अब शुरू हुई है।

## मुजफ्फरनगर दंगा 2013 प्रकरण साम्प्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 27 के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में विशेष एमएलएलाय कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व 26 अन्य के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए हैं। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 24 जून नियत की है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार यह 28 अगस्त 2013 को स्थित गंगनहर का अंतिम संस्कार कर पर लौटते समय कवाल में संघर्ष को लेकर पुलिस ने 28 लोगों के विरुद्ध कई सभ्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। घटना के बाद विक्रम सैनी को एनएसए में नियुक्त किया गया था। मामले की सुनवाई 27 के विरुद्ध चली थी और गत 11 अक्टूबर 2022 को विशेष अदालत ने विक्रम सैनी व 11 दूसरे आरोपियों को सजा सुनाई थी, जबकि 15 को बरी कर दिया था। इस घटना से संबंधित धारा 153ए के तहत शासन से अनुमति मिलने पर बाद में चार्जशीट दायित्व की गई थी, जिस की सुनवाई अब शुरू हुई है।

## मुजफ्फरनगर दंगा 2013 प्रकरण साम्प्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 27 के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय

मुजफ्फरनगर, 6 जून (बु.)। साम्प्रदायिक भावना भड़काने के मामले में विशेष एमएलएलाय कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी व 26 अन्य के विरुद्ध धारा 153ए के तहत आरोप तय हो गए हैं। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 24 जून नियत की है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार यह 28 अगस्त 2013 को स्थित गंगनहर का अंतिम संस्कार कर पर लौटते समय कवाल में संघर्ष को लेकर पुलिस ने 28 लोगों के विरुद्ध कई सभ्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। घटना के बाद विक्रम सैनी को एनएसए में नियुक्त किया गया था। मामले की सुनवाई 27 के विरुद्ध चली थी और गत 11 अक्टूबर 2022 को विशेष अदालत ने विक्रम सैनी व 11 दूसरे आरोपियों को सजा सुनाई थी, जबकि 15 को बरी कर दिया था। इस घटना से संबंधित धारा 153ए के तहत शासन से अनुमति मिलने पर बाद में चार्जशीट दायित्व की गई थी, जिस की सुनवाई अब शुरू हुई है।













